"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2014— पौष 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्रमांक 58/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2014— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 30, 39(2)(घ), 40(ग), 42(2,3), 86(1)(ग) सहपठित 181 द्वारा प्रदत्त और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के उपरांत एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2011 (एत्स्मिनपश्चात् "मूल विनियमों" के रूप में संदर्भित) को संशोधित करने के लिए निम्नांकित विनियम बनाता है, अर्थात—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ विद्युत नियमाक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन—विनियम, 2012 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम दिनांक 01/01/2013 से लागू होंगे।

2. खंड 5 के उपखंड (2) का संशोधन—

मूल विनियम के खंड 5, के उपखंड (2) में निम्नांकित खंड प्रतिस्थापित किया जाये,

(2) मुक्त सुगम्यता उपभोक्ता को वैसे शुल्कों का भुगतान करना होगा जैसे आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये जायें।

3. **खंड 5 के उपखंड (5) का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 5, के उपखंड (5) के परंतुक में निम्नांकित खंड प्रतिस्थापित किया जाये,

परन्तु, ऐसे थोक उपभोक्ता जो एकमेव (समर्पित) फीडरों के माध्यम से संयोजित नहीं है, उन्हें तब तक मुक्त सुगम्यता की अनुमति नहीं होगी, जब तक अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आयोग द्वारा उन्हें छूट प्रदान न कर दी गई हो। आवश्यक होने पर मुक्त सुगम्यता ले रहें थोक उपभोक्ता, भार प्रतिबंध के अध्यधीन होंगे।

4. **खंड 9 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 9, के उपखंड (3) में, शब्दावली– **"**पृथक मीटर उपकरणों को रखने वाले**"** को विलोपित किया जाये।

5. **खंड 12 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 12, के उपखंड (2) में, परंतुक के पहले पैरा के ''समस्त आवेदक–––––––मुक्त सुगम्यता चाही गई है**"** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः–

मुक्त सुगम्यता का प्रत्येक आवेदक इस आशय का वचनबंध अथवा घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसी विद्युत के विक्रय हेतु कोई अन्य अनुबंध नहीं किया गया है,जिसके लिए अनापत्ति अथवा पूर्व में स्थायी अनुमति (क्लीयरेंस) आवेदित की गई है।

6. **खंड 13 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 13 में, परन्तुक के अंतिम पंक्ति में उल्लिखित शब्द **"**वितरण**"** को विलोपित किया जाये।

7. **खंड 21 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 21 में, प्रथम परन्तुक की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित शब्द **"**वितरण**"** को विलोपित किया जाये।

8. **खंड 27 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 27 के प्रथम परन्तुक में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात–

परन्तु, यह कि किसी उत्पादन केन्द्र (केपटिव उत्पादन संयंत्र) अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित उपभोक्ता (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर)/वितरण अनुज्ञप्तिधारी और राज्यांतरिक मध्यम अवधि की मुक्त सुगम्यता चाहने वाला, राज्य पारेषण उपक्रम/राज्य भार प्रेषण केन्द्र, केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन वांछित समहति प्रदान करने से पूर्व उत्पादन कंपनी (केपटिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथावा उपभोक्ता से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सहमति प्रस्तुत करने को कहेगा।

9. **खंड 28 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 28, के उपखंड 3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाये, अर्थात–

(i) प्रथम पैरा में परन्तुक से पहले के शब्दों ''प्रत्येक'' और ''और/अथवा सामूहिक संव्यवहार'' को विलोपित किया जाये।

(ii) परन्तुक, में शब्दावली ''अथवा सामूहिक संव्यवहार'' को विलोपित किया जाये।

10. **खंड 32 का संशोधन–** मूल विनियम के खंड 32 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात–

"32.राज्यांतरिक लघु अवधि सुगम्यता" उपर्युक्त विनियमों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी राज्यांतरिक लघु अवधि सुगम्तया की प्रक्रिया केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (राज्यांतरिक पारेषण में सुगम्यता) विनियम, 2008, अथवा समय–समय पर यथासंशोधित इसके विधिक पुनः अधिनियमन के अनुसार होगी।

परन्तु, यह कि किसी उत्पादन केन्द्र (केपटिव उत्पादन संयंत्र) अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित उपभोक्ता (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर)/वितरण अनुज्ञप्तिधारी और राज्यांतरिक मध्यम अवधि की मुक्त सुगम्यता चाहने वाला, राज्य पारेषण उपक्रम/राज्य भार प्रेषण केन्द्र, केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन वांछित समहति प्रदान करने से पूर्व उत्पादन कंपनी (केपटिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथावा उपभोक्ता से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सहमति प्रस्तुत करने को कहेगा।

अनुज्ञप्तिधारी की सहमति केवल प्रथम बार के लिए आवश्यक होगी। निरंतरता में परवर्ती लघु अवधि राज्यांतरिक लघु अवधि सुगम्यता हेतु आवेदक को अपना आवेदन सीधे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देना होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र सहमति के लिए संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श के उपरांत इस आवेदन का निराकरण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (राज्यांतरिक पारेषण में सुगम्यता) विनियम, 2008 अथवा समय समय पर यथासंशोधित, इसके विधिक पुनः अधिनियमनों में विनिर्दिष्ट समयावधि में करेगा। निरंतरता में अन्तराल होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की सहमति नये सिरें से लेना आवश्यक होगा;

परन्तु, यह और भी कि ऐसे समस्त आवेदक जो लघु अवधि के लिए राज्यांतरिक सुगम्यता हेतु राज्य ग्रिड का उपयोग करने के इच्छुक है उन्हें इन विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड को पूरा करना आवश्यक होगा और लघु अवधि राज्यांतरिक सुगम्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय इन विनियमों के विनियम 12(2) का अनुपालन करना होगा।"

11. **खण्ड 33 के उपखंड (1) का संशोधन–** मूल विनियमों के खंड 33, के उपखंड (1) में निम्नलिखित परन्तुक, प्रविष्ट किया जाये, अर्थात–

(i) उपखंड (क) के उपरांत निम्नलिखित परन्तुक प्रविष्ट किया जाये, अर्थात– "परन्तु यह भी कि दीर्घ अवधि अथवा मध्यम अवधि सुगम्यता उपभोक्ताओं द्वारा राज्यांतरिक विद्युत संव्यवहार हेतु राज्य ग्रिड के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारों को केन्द्रीय पारेषण उपक्रम द्वारा आबंटित क्षमता के आधार पर बांट दिया जायेगा,"

(ii) उपखंड (ख) के उपरांत निम्नलिखित परन्तुक प्रविष्ट किया जाये, अर्थात– "परन्तु लघु अवधि के लिए राज्यांतरिक द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु राज्य ग्रिड के उपयोग हेतु पारेषण प्रभार, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतःक्षेपण के बिन्दु/बिन्दुओं पर पारेषण के लिए अनुमोदित विद्युत के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होंगे।

परन्तु यह और भी कि लघु अवधि के राज्यांतरिक समग्र संव्यवहार के लिए राज्य ग्रिड का उपयोग करने हेतु पारेषण प्रभार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतःक्षेपण के प्रत्येक बिन्दु पर और निकासी के प्रत्येक बिन्दु के लिए प्रथकतः अनुमोदित विद्युत के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर के अनुसार होंगे,"

12. **खण्ड 33 के उपखंड (2) का संशोधन–** मूल विनियमों के खंड 33, के उपखंड (2) में निम्नलिखित परन्तुक, प्रविष्ट किया जाये, अर्थात–

(iii) उपखंड (क) के उपरांत निम्नलिखित परन्तुक प्रविष्ट किया जाये, अर्थात–

परन्तु, दीर्घ अवधि अथवा मध्यम अवधि सुगम्यता उपभोक्ताओं द्वारा राज्यांतरिक विद्युत संव्यवहार के लिए राज्य ग्रिड के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार केन्द्रीय पारेषण उपक्रम द्वारा अनुमोदित विद्युत के आधार पर भुगतान योग्य होंगे। अनुमोदित विद्युत की संगणना केन्द्रीय पारेषण उपक्रम द्वारा द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु आबंटित क्षमता पर शत–प्रतिशत लोड फैक्टर विचार में लेते हुए की जायेगी,

परन्तु, यह भी कि लघु अवधि के लिए राज्यांतरिक द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क का उपयोग करने हेतु व्हींलिंग प्रभारों, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतःक्षेपण के बिन्दु/बिन्दुओं पर पारेषण के लिए अनुमोदित विद्युत हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर के अनुसार होंगे।

परन्तु, यह और भी कि राज्यांतरिक समग्र संव्यवहारों के लिए राज्य ग्रिड का उपयोग करने हेतु व्हींलिंग प्रभार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अतःक्षेपण के प्रत्येक बिन्दु और आहरण के प्रत्येक बिन्दु पर पृथकतः पारेषण के लिए अनुमोदित विद्युत हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर के अनुसार होंगे।

13. **खंड 33, उपखंड (15) के उपरांत तालिका 5 में दिए गए उदाहरण का संशोधन–**

तालिका 5 के सरल क्रमांक 5 के अंतिम कॉलम में, ऐसे प्रकरण में जहॉ ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र का 33 केव्ही. भाग पर और आहरण बिन्दु ई.एच.व्ही. भाग (132 केव्ही और उपर) पर है वहॉ प्रयोज्य प्रभार के सरल क्रमांक 3 की शब्दावली ''3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार'' विलोपित किया जाये।

14. **खंड 40 का संशोधन–** मूल विनियमों के खंड 40 में उपखंड (2) के स्थान पर निम्नांकित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात–

वह लघु अवधि का सुगम्यता ग्राहक जिसने उपर्युक्त विनियम (1) के अधिन राज्यांतरिक सुगम्यता की उपयोग न की गई क्षमता को समर्पित कर दिया है पारेषण और/अथवा व्हींलिंग प्रभारों और क्रास–सब्सीडी सरचार्ज आदि जैसे समस्त प्रयोज्य प्रभारों का वहन दो दिवस के लिए मूल आरक्षित क्षमता के आधार पर करेगा।

लघु अवधि का सुगम्यता ग्राहक जो उपर्युक्त विनियम (1) के अधीन राज्यांतरिक सुगम्यता हेतु उपयोग न की गई क्षमता को समर्पित करता है। वह दो दिवस के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु संचालन प्रभारों का वहन करेगा। परन्तु, आंशिक समर्पण अथवा लघु अवधि सुगम्यता के निम्नतर पुनरीक्षण के प्रकरण में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को कोई अतिरिक्त संचालन प्रभार भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु, ऐसे निरस्तीकरण अथवा लघु अवधि सुगम्यता के निम्नतर पुनरीक्षण 2 दिनों की न्यूनतम अवधि समाप्त होने के पूर्व प्रभावशील नहीं होंगे;

परन्तु, यह और भी कि जिस दिन निरस्तीकरण अथवा निम्नतर पुनरीक्षण की सूचना सम्पर्क अभिकरण को तामिल की जाती है और वह दिन जिससे ऐसा निरस्तीकरण अथवा निम्नतर

पुनरीक्षण प्रभावशील किया जाना है, ऐसे 2 दिवस की अवधि की संगणना हेतु निकाल दिए जायेंगे।

परन्तु, राज्यांतरिक लघु अवधि सुगम्यता के ऐसे उपभोक्ता जो निरस्तीकरण अथवा लघु अवधि सुगम्यता अनुसूची का निरस्तीकरण अथवा निम्नतर पुनरीक्षण कराने के इच्छुक हैं, हेतु अनुसूची का पुनरीक्षण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (राज्यांतरिक पारेषण में सुगम्यता) विनियम, 2008 और इसके परवर्ती संशोधनों से शासित होगा।

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी पाठ से अंग्रेजी पाठ के निर्वचन अथवा समझ में किसी तरह के मतभेद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन.सिंह)
सचिव